



प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 30.09.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए 01 को आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये तथा 2 को 6-6 माह के साधारण कारावास व 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड के से दण्डित किया गया।

थाना तरवा में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप में 3 अभियुक्तों में से 01 को आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये तथा 2 को 6-6 माह के साधारण कारावास व 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड के से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक-29.11.2019 को वादी मुन्ना पाण्डेय पुत्र भभूती पाण्डेय निवासी शाहपुर कानूनगो थाना तरवा जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. संजय पाण्डेय पुत्र स्व0 रामनवल 2. मृत्युंजय उर्फ मृदंगी पुत्र दुर्वासा उर्फ अनिरुद्ध पाण्डेय 3. पंकज पुत्र दुर्वासा उर्फ अनिरुद्ध पाण्डेय 4. उपेन्द्र पुत्र राम विलास पाण्डेय 5. सरोज पत्नी दुर्वासा उर्फ अनिरुद्ध पाण्डेय निवासीगण शाहपुर कानूनगो थाना तरवा जनपद आजमगढ़ द्वारा मेरे पुत्र चन्द्रमणि पाण्डेय को मकान के नीचे पर मिट्टी डालने के विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर देना।

➡ अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना तरवा पर मु0अ0सं0-150/2019 धारा-147,148,149,302, 323, 352, 504, 34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए हैं।

➡ जिसके क्रम में दिनांक-30.09.2026 को मा0 न्यायालय EC कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. संजय पाण्डेय पुत्र स्व0 रामनवल को आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 2. मृत्युंजय उर्फ मृदंगी पुत्र दुर्वासा उर्फ अनिरुद्ध पाण्डेय 3. पंकज पुत्र दुर्वासा उर्फ अनिरुद्ध पाण्डेय को 6-6 माह के साधारण कारावास व 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा 4. उपेन्द्र पुत्र राम विलास पाण्डेय 5. सरोज पत्नी दुर्वासा उर्फ अनिरुद्ध पाण्डेय निवासीगण शाहपुर कानूनगो थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।

थाना-रानी की सराय, जनपद-आजमगढ़

जल निगम की पानी टंकी से सोलर पैनल व तार चोरी के मुकदमे में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

☐ जल निगम की पानी टंकी की बाउंड्रीवाल फांदकर सोलर पैनल व तार चोरी करने के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

☐ पुलिस टीम द्वारा सूचना प्राप्त होने पर सेमरहा अण्डरपास के पास से दोनों अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.09.2026 को वादी संजय यादव पुत्र लौटू यादव, निवासी ग्राम सहिंगड़ा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना उपस्थित होकर तहरीर दी गयी कि दिनांक 29.09.2026 को समय करीब 03.00 से 04.00 बजे के मध्य अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम सहिंगड़ा स्थित जल निगम की पानी टंकी की बाउंड्रीवाल फांदकर वहां से सोलर पैनल व तार काटकर चोरी कर लिये गये तथा ई-रिक्शा संख्या UP50ET 9272 से मौके से फरार हो गये।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0-266/2026 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण अजय जायसवाल एवं गुलाम हसन का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर एवं प्रभारी निरीक्षक थाना रानी की सराय के नेतृत्व में 30/09/26 रईस अहमद मय हमराह क्षेत्र में रात्रि गश्त पर मामूर थे।

इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सेमरहा अण्डरपास के पास खड़े हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 30.09.2026 को दोनों अभियुक्तों को सेमरहा अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अजय जायसवाल पुत्र स्व0 आदित्य प्रसाद, निवासी मोहल्ला बाजबहादुर, खेड़िया मस्जिद के पास, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

2. गुलाम हसन पुत्र सहरुद्दीन, निवासी जाफरपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-266/2026 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त अजय जायसवाल

1. मु0अ0सं0-331/2025, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0-256/2025, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0-266/2026, धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त गुलाम हसन

1. मु0अ0सं0-228/2023, धारा 323/506 भादवि, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0-266/2026, धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रईस अहमद, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

2. का0 सुनील वर्मा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

3. का0 अमन कुमार गुप्ता, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण में 03 पारिवारिक प्रकरणों में कराया गया समझौता

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 30.09.2026 को थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण में बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में कुल 07 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मध्यस्थता हेतु बुलाया गया, जिसमें 06 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। परिवार परामर्श प्रकोष्ठ की टीम द्वारा दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर समझाने-बुझाने एवं आपसी सामंजस्य स्थापित कराने का प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप 03 प्रकरणों में समझौता कराया गया।

समझौता किये गये 03 प्रकरणों में 02 प्रकरण दहेज के लिए पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा 01 प्रकरण पति द्वारा अन्य महिला के सम्पर्क में होने के कारण पत्नी से बातचीत न करने एवं भरण-पोषण हेतु खर्चा न देने से संबंधित था। अथक प्रयासों के उपरान्त दोनों पक्षों के मध्य आपसी सहमति एवं समझौता कराया गया। वहीं 01 प्रकरण अन्य कारण से बन्द किया गया।

नई किरण प्रोजेक्ट के माध्यम से पारिवारिक विवादों को आपसी संवाद, समझ-बूझ एवं मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जाता है, जिससे परिवारों को पुनः एकजुट करने के साथ-साथ माननीय न्यायालयों में लंबित पारिवारिक विवादों के बोझ को कम करने में भी सहायता मिलती है।

कुल समझौते – 03

1. सुधा यादव पुत्री रामप्रसाद यादव, ग्राम शेखपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

2. हुस्ना बानो पत्नी अशरफ राजा, ग्राम पुरा गुलाम, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

3. कंचन पुत्री हरीराम, ग्राम देवरिया, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

बैठक में उपस्थित पुलिस टीम-

उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी

उ0नि0 सत्यनारायण यादव

आरक्षी जितेन्द्र कुमार साह

आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता

महिला आरक्षी नेहा सिंह

प्रभारी

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण

पुलिस कार्यालय, जनपद आजमगढ़

थाना-गम्भीरपुर, जनपद-आजमगढ़

जान से मारने की नीयत से हमला करने के मामले में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

- ☐ ठेला लगाने की बात को लेकर हुए विवाद में लाठी-डंडे व लोहे की रॉड से हमला करने का आरोप, मुकदमा दर्ज।
- ☐ थाना गम्भीरपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 02 वांछित अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर किया गिरफ्तार।
- ☐ गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0-234/2026 में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.09.2026 को वादी सुनील सोनकर पुत्र दिनेश सोनकर, निवासी ग्राम गम्भीरपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 27.09.2026 को समय करीब 16.00 बजे ठेला लगाने की बात को लेकर विपक्षीय भोनू सोनकर, दीपक सोनकर व उनके भांजे लालू सोनकर द्वारा एकराय होकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे एवं लोहे की रॉड से उसके भाई कन्हैया सोनकर के साथ मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट एवं गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0-234/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस बनाम भोनू सोनकर आदि के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष गम्भीरपुर अमित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में दिनांक 29.09.2026 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह का0 धीरज सिंह, का0 सोनू यादव, का0 अभिनव त्रिपाठी, का0 अंकित एवं का0 नोमान अख्तर द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय करीब 13.30 बजे गम्भीरपुर क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. भोनू सोनकर पुत्र रामवृक्ष सोनकर, निवासी गम्भीरपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।
 2. लालू उर्फ विपिन सोनकर पुत्र लालधर सोनकर, निवासी भीरा, थाना घोषी, जनपद मऊ, उम्र करीब 19 वर्ष।
- पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-234/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिषेक सिंह, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 धीरज सिंह, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. का0 सोनू यादव, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
4. का0 अभिनव त्रिपाठी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
5. का0 अंकित, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
6. का0 नोमान अख्तर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना-मेहनाजपुर, जनपद-आजमगढ़

फर्जी नियुक्ति पत्र देकर सहायक अध्यापक की नौकरी दिलाने के नाम पर ₹2.30 लाख की ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

- ☐ बीएसए कार्यालय का कर्मचारी बनकर फर्जी आईडी दिखाकर पीड़ित से ₹2.30 लाख लिये, दिया फर्जी नियुक्ति पत्र।
- ☐ फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर जवाइनिंग कराने का प्रयास, शिकायत पर पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
- ☐ अभियुक्त के कब्जे से फर्जी परिचय पत्र, बीएसए कार्यालय की फर्जी मुहर, आधार कार्ड, मोबाइल फोन एवं ₹10,000 नगद बरामद।

घटना का विवरण-

दिनांक 30.09.2026 को आवेदक लक्ष्मन विश्वकर्मा पुत्र फेकन विश्वकर्मा, निवासी हिलालपुर, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मेहनाजपुर पर तहरीर दी गई कि हरिश्चन्द्र पुत्र रामफेर, निवासी बेला कलीचपुर, थाना मेहनाजपुर, स्वयं को बीएसए कार्यालय आजमगढ़ का कर्मचारी बताते हुए फर्जी परिचय पत्र दिखाकर सहायक अध्यापक की नौकरी दिलाने के नाम पर उससे ₹2,30,000 नगद ले लिये तथा कुछ दिन बाद फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइनिंग करने पहुंचने पर उसके फर्जी होने की जानकारी हुई। रुपये वापस मांगने पर अभियुक्त द्वारा टालमटोल की जाती रही।

तहरीर के आधार पर थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0-87/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 341(1)/317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष मेहनाजपुर अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मानिकपुर मोड़ से अभियुक्त हरिश्चन्द्र उर्फ हरिचरन राम को दिनांक 30.09.2026 को समय करीब 14:10 बजे गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 फर्जी परिचय पत्र कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़, 01 फर्जी मुहर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़, 01 आधार कार्ड, 01 मोबाइल फोन एवं ₹10,000 नगद बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हरिश्चन्द्र उर्फ हरिचरन राम पुत्र रामफेर राम, निवासी ग्राम बेला कलीचपुर, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 58 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-87/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/341(1)/317(2) बीएनएस, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।
2. हे0का0 कालिका यादव, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।
3. का0 पुनीत सिंह, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।

थाना-कप्तानगंज, जनपद-आजमगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट सहित सुसंगत धाराओं में दर्ज है अभियोग

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 23.06.2026 को वादिनी द्वारा थाना कप्तानगंज पर तहरीर दी गई कि दिनांक 22.06.2026 को उनकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताए चली गई तथा काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। तहरीर के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0-193/26 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 29.06.2026 को मुकदमे में धारा 65(1), 87 बीएनएस एवं धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई तथा अभियुक्त विपिन पुत्र वीरेन्द्र निषाद का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 30.09.2026 को चौकी प्रभारी उ0नि0 सानिया गुप्ता मय पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त कस्बा कप्तानगंज चौक में मौजूद है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त विपिन पुत्र वीरेन्द्र निषाद, निवासी महम्मदपुर, थाना कटका, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र 21 वर्ष को समय 11:10 बजे कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विपिन पुत्र वीरेन्द्र निषाद, निवासी महम्मदपुर, थाना कटका, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-193/26 धारा 65(1)/137(2)/87 बीएनएस एवं धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सानिया गुप्ता, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।
2. का0 अखिलेश यादव, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।
3. रि0का0 विशाल गुप्ता, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड में ठगी गयी ₹8,062/- की सम्पूर्ण धनराशि साइबर हेल्प डेस्क टीम की प्रभावी कार्यवाही से पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 04.11.2025 को धर्मेन्द्र राजभर पुत्र वंशराज, निवासी ग्राम बर्मा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर स्वयं को Shriram Finance का कर्मचारी बताया गया तथा बाइक की किस्त जमा कराने के नाम पर ₹8,062/- अपने बैंक खाते में स्थानांतरित करा लिए गए। धनराशि प्राप्त होने के बाद उक्त व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन बंद कर दिया गया।

इस संबंध में पीड़ित द्वारा दिनांक 05.11.2025 को NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 23111250177085 दर्ज करायी गयी। साइबर हेल्प डेस्क थाना बरदह की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की धनराशि ₹8,062/- को संबंधित बैंक खाते में होल्ड कराया गया। तत्पश्चात MRM (Money Restoration Module) पोर्टल के माध्यम से आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए ठगी की सम्पूर्ण धनराशि ₹8,062/- पीड़ित के खाते में वापस करा दी गयी।

साइबर फ्रॉड का तरीका-

अपराधियों द्वारा स्वयं को बैंक, फाइनेंस कम्पनी, बीमा कम्पनी, पुलिस अथवा अन्य प्रतिष्ठित संस्थान का कर्मचारी बताकर फोन किया जाता है तथा किस्त, केवाईसी, खाता अपडेट, पेनल्टी अथवा अन्य कारण बताकर पीड़ित से धनराशि किसी खाते में ट्रांसफर करा ली जाती है। धनराशि प्राप्त होते ही आरोपी मोबाइल बंद कर देते हैं अथवा संपर्क समाप्त कर देते हैं।

साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय-

1. किसी अनजान व्यक्ति के फोन पर विश्वास कर बैंकिंग संबंधी जानकारी अथवा धनराशि साझा न करें।
2. बैंक, फाइनेंस कम्पनी या किसी अन्य संस्था के नाम पर प्राप्त संदिग्ध कॉल की पुष्टि संबंधित संस्था के अधिकृत माध्यम से करें।
3. OTP, ATM PIN, CVV, UPI PIN, पासवर्ड अथवा बैंक खाते की गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें।
4. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग/रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड न करें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें।
5. साइबर ठगी होने पर घबरायें नहीं और तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करायें तथा National Cyber Crime Reporting Portal पर भी शिकायत करें। शीघ्र शिकायत करने से ठगी की धनराशि को होल्ड कराने एवं वापस कराने की संभावना बढ़ जाती है।

पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 मनीष सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
3. म0आ0 आरती सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

थाना- रौनापार, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड में ठगी गयी ₹12,616/- की धनराशि साइबर टीम की प्रभावी कार्यवाही से पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी

घटना का विवरण-

आवेदक संजय यादव पुत्र उदयभान यादव, निवासी ग्राम अराजी अजगरा मशर्की, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा विदेश भेजने के नाम पर एक एजेंट को धनराशि दी गयी थी। एजेंट द्वारा न तो आवेदक को विदेश भेजा गया और न ही धनराशि वापस की गयी। इस संबंध में आवेदक द्वारा दिनांक 15.08.2026 को ₹41,200/- की साइबर ठगी के संबंध में NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 23108260159393 दर्ज करायी गयी।

पुलिस कार्यवाही एवं धनराशि वापसी-

शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त साइबर टीम थाना रौनापार द्वारा संबंधित बैंकों से तत्काल समन्वय एवं पत्राचार करते हुए फ्रॉड की धनराशि में से ₹33,636/- को फ्रॉडस्टर के बैंक खातों में होल्ड कराया गया। होल्ड धनराशि में से ₹12,616/- दिनांक 28.09.2026 को MRM (Money Restoration Module) पोर्टल के माध्यम से आवेदक के खाते में वापस कराये गये। शेष होल्ड धनराशि को भी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त वापस कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

साइबर फ्रॉड का तरीका-

अपराधियों द्वारा विदेश भेजने, नौकरी दिलाने, वीजा बनवाने, ऑनलाइन निवेश, लोन अथवा अन्य सेवाओं के नाम पर लोगों से धनराशि प्राप्त की जाती है। इसके बाद सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाती तथा आरोपी धनराशि वापस करने से बचते हुए संपर्क बंद कर देते हैं।

साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय-

1. विदेश भेजने अथवा नौकरी दिलाने के नाम पर किसी एजेंट को पैसा देने से पूर्व उसकी विश्वसनीयता एवं अधिकृत पंजीकरण की जांच करें।
2. किसी अनजान व्यक्ति/एजेंट के कहने पर बिना सत्यापन के ऑनलाइन धनराशि ट्रांसफर न करें।
3. OTP, UPI PIN, ATM PIN, CVV एवं बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
4. संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गये ऐप को डाउनलोड न करें।
5. साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें तथा National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज करायें। शीघ्र शिकायत करने से धनराशि को होल्ड कराने की संभावना बढ़ जाती है।

पुलिस टीम-

1. साइबर टीम थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

थाना-कोतवाली, जनपद-आजमगढ़

गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्ताएं गिरफ्तार, चोरी की घटनाओं में संलिप्तता के आधार पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में थी तलाश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्ताओं को दिनांक 30.09.2026 को प्राइवेट बस स्टैंड नरौली के पास से समय 10:45 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया।

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में शांति-व्यवस्था, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं मु०अ०सं०-509/26 धारा 2(b)(1)/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 से संबंधित अभियुक्ताओं की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्ताएं प्राइवेट बस स्टैंड नरौली के पास मौजूद हैं।

सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से मौके से दोनों अभियुक्ताओं को पकड़ लिया गया। नाम-पता पूछने पर उनकी पहचान शीला देवी पुत्री सीताराम एवं काजल पत्नी करन के रूप में हुई। जांच एवं तस्दीक के उपरान्त दोनों का उक्त अभियोग में वांछित होना पाए जाने पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया तथा परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

1. शीला देवी पुत्री सीताराम, निवासी सिधुआपार, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर, उम्र 35 वर्ष।
2. काजल पत्नी करन, निवासी लखनपारा, पो0 भाटपार, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर, उम्र 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-509/26 धारा 2(b)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्ता शीला देवी

1. मु0अ0सं0-174/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-99/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0-509/26 धारा 2(b)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्ता काजल

1. मु0अ0सं0-174/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-509/26 धारा 2(b)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
2. उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
3. उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
4. हे0का0 अभय सिंह, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
5. का0 सुजीत शर्मा, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
6. का0 राहुल पाण्डेय, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
7. म0का0 खुशबू सिंह, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
8. म0का0 प्रियंका सिंह, थाना कोतवाली, आजमगढ़।

थाना-जहानागंज, जनपद-आजमगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 09.08.2026 को थाना जहानागंज पर वादिनी द्वारा सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, जिसे अभियुक्त मानव कुमार उर्फ अर्जुन द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0-171/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम मानव कुमार उर्फ अर्जुन पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 65(1) बीएनएस एवं धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 30.09.2026 को उ0नि0 शिवम त्यागी मथ पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त मानव कुमार उर्फ अर्जुन लंगड़ा बाबा स्थान, सेमा के पास मौजूद है तथा कहीं जाने की फिराक में है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए अभियुक्त को पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं नाम-पता तस्दीक के उपरान्त अभियुक्त को मुकदमे में वांछित पाए जाने पर समय करीब 10:45 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मानव कुमार उर्फ अर्जुन पुत्र किशुन लाल, निवासी भीटी पल्हना, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़, उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-171/26 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस एवं धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शिवम त्यागी, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 अनिल कुमार, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
3. का0 अजीत कुमार, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।